

मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में बाढ़/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित प्रदेश के 09 लाख से अधिक कृषकों को 493 करोड़ रु० की कृषि निवेश अनुदान राशि अन्तरित की

मिशन शक्ति के अन्तर्गत जागरूकता रैली-2026 को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

डबल इंजन सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित किसान और परिवार के साथ खड़ी, प्रभावित परिवारों के साथ सरकार की पूरी संवेदना : मुख्यमंत्री

इस वर्ष अब तक प्रदेश में आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रु० की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी

पहले भी प्रदेश सरकार बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 169 करोड़ रु० जारी कर चुकी, इसके अतिरिक्त, 1,29,326 किसानों को फसल क्षति के लिए 78.75 करोड़ रु० की सहायता उपलब्ध करायी गई

जनहानि, पशुधन की हानि और मकानों की क्षति के मामलों में 225 करोड़ 93 लाख रु० की सहायता पहले ही वितरित की जा चुकी

अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अलग से 1.20 लाख रु० की सहायता उपलब्ध कराई गई

आपदा में जनहानि होने पर प्रभावित परिवार को 24 घण्टे के भीतर 04 लाख रु० की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश

डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर जिन जनपदों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई, वहाँ प्रभावित किसानों को तत्काल क्षतिपूर्ति दी जा रही

आपदा के कारण सड़क अथवा अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी

सरकार की प्राथमिकता कि किसान, नागरिक, व्यापारी अथवा युवा किसी भी प्रकार की परेशानी में स्वयं को अकेला न समझें, सरकार हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़ी

प्रदेश के कई जनपदों में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम स्थापित किए गए, जो सम्भावित आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराते

लखनऊ : 12 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार आपदा राहत कोष से क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 09 लाख 18 हजार 91 किसानों के बैंक खातों में 493 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे अन्तरित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

के नेतृत्व में यह सहायता अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद गोरखपुर में बाढ़/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि एवं चक्रवात के कारण फसल क्षति से प्रभावित प्रदेश के 09 लाख से अधिक कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान धनराशि अन्तरित करने के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों का अन्नप्राशन कराया। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के अन्तर्गत जागरूकता रैली-2026 को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। अनेक स्थानों पर जनहानि और पशुधन की हानि भी हुई है। ऐसे समय में डबल इंजन सरकार ने प्रभावित किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति के लिए मात्र 08 से 10 दिन के भीतर आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। आज किसानों को 493 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष बरसात के दौरान अब तक प्रदेश में आपदा से प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अलग से 1.20 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि फसल क्षति के लिए दी जा रही क्षतिपूर्ति से अतिरिक्त है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि किसी आपदा में जनहानि हुई है, तो प्रभावित परिवार को 24 घण्टे के भीतर 04 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं या बह गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तत्काल आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी नियमानुसार क्षतिपूर्ति दी जा रही है। पशुधन की हानि होने पर प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर जिन जनपदों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वहाँ प्रभावित किसानों को तत्काल क्षतिपूर्ति दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आपदा के कारण किसान परिवारों पर आए आर्थिक संकट को यथाशीघ्र कम किया जाए और उन्हें खेती-किसानी दोबारा शुरू करने में आवश्यक सहयोग मिले। डबल इंजन सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित किसान और परिवार के साथ खड़ी है। प्रभावित

परिवारों के साथ सरकार की पूरी संवेदना है। अन्नदाता किसानों की खुशहाली, समृद्धि और सम्मान के लिए सरकार हर परिस्थिति में उनका साथ देती रहेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी अतिवृष्टि की शिकायतें आ रही हैं और नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। जहाँ बाढ़ के कारण कटान हुआ है, वहाँ तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वी०बी०जी०राम०जी० के अन्तर्गत भी बाढ़रोधी एवं बाढ़ बचाव हेतु कार्य किए जा रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों और बाधित आवागमन को भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके लिए सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आपदा के कारण सड़क अथवा अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मौसम अनुकूल होते ही कार्य प्रारम्भ कर आवागमन को सामान्य बनाया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय था, जब पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सरकार 100 रुपये भेजती थी, लेकिन लाभार्थी तक केवल 15 रुपये ही पहुँचते थे। पहले किसान की फसल का नुकसान होता था, लेकिन सहायता की राशि रास्ते में ही गायब हो जाती थी। वर्तमान व्यवस्था में किसान के हक का पैसा सीधे उसके खाते में पहुँच रहा है। आज दी जा रही 493 करोड़ रुपये की राशि किसानों को राहत पहुँचाने के लिए है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि पहुँचायी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल व्यवस्था और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी०बी०टी०) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचे। अब किसान के लिए स्वीकृत राशि सीधे उसके खाते में जाती है। बीच में न कोई बिचौलिया है और न ही किसी प्रकार की कटौती की गुंजाइश। वर्तमान सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें आपदा के समय तत्काल राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान, नागरिक, व्यापारी अथवा युवा किसी भी प्रकार की परेशानी में स्वयं को अकेला न समझें। सरकार हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़ी रहेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की हैं। वर्ष 2017 से पहले आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती थी। अब प्रदेश के कई जनपदों में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जो सम्भावित आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराते हैं।

इस व्यवस्था के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को एस०एम०एस० अथवा टेलीफोन के जरिए अलर्ट भेजा जाता है, ताकि वे समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुँच

सकें। लोगों को सलाह दी जाती है कि आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी मिलने पर खुले आसमान के नीचे न रहें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें और किसी सुरक्षित पक्के भवन में चले जाएं। इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर जनहानि रोकने में सहायता मिली है। इसके बावजूद यदि दुर्भाग्यवश किसी किसान, बटाईदार अथवा किसान परिवार के सदस्य की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु होती है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित परिवार को 05 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रभावित परिवार को निर्धारित समय के भीतर सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्षा की मात्रा का आकलन करने के लिए रेन गेज लगाए गए हैं। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है और कहाँ राहत की आवश्यकता है। डिजिटल सर्वे, मौसम सम्बन्धी चेतावनी और प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से सरकार आपदा के प्रभाव को कम करने तथा किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में किसानों को जो सहायता दी जा रही है, उससे पहले भी प्रदेश सरकार बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 169 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, 1,29,326 किसानों को फसल क्षति के लिए 78.75 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी गई है। जनहानि, पशुधन की हानि और मकानों की क्षति के मामलों में भी 225 करोड़ 93 लाख रुपये की सहायता पहले ही वितरित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल सहायता राशि जारी करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वह पात्र व्यक्ति तक समय से पहुँचे। इसी क्रम में आज भी कुछ प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री जी ने कैम्पियरगंज क्षेत्र के श्री बेरइची को 25,670 रुपये, श्री बेचन प्रसाद को 22,951 रुपये, श्री जोखन को 22,841 रुपये, श्री सम्पत को 22,372 रुपये और श्री परमहंस को 22,219 रुपये की धनराशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने का उल्लेख किया। इसी प्रकार, सदर तहसील के श्री चन्द्र प्रकाश द्विवेदी को 11,811 रुपये और श्री धरनीधर को 11,808 रुपये, गोला क्षेत्र के श्री गिरिजापति त्रिपाठी को 34,000 रुपये, श्री कमलेश को 26,520 रुपये, श्री रामदरश को 27,914 रुपये, श्री जनार्दन प्रसाद को 24,633 रुपये तथा श्री राणा प्रताप सिंह को 22,355 रुपये की सहायता दी गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले किसानों को क्षतिपूर्ति के नाम पर 02 रुपये, 04 रुपये या 15 रुपये जैसी बहुत छोटी-छोटी धनराशियाँ मिलती थीं। आज सरकार किसानों के वास्तविक नुकसान का आकलन कर उन्हें सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार के एजेण्डे में अन्नदाता किसान, युवा, महिलाएँ और गरीब सभी शामिल हैं। इन

वर्गों के हितों की रक्षा करना और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना सरकार का दायित्व है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। पहले किसानों को बिजली का बिल तो मिलता था, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी। वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए किसानों को बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। 16 लाख निजी ट्यूबवेल को निःशुल्क बिजली दी है। नहरों का जाल बिछाया है। आज प्रदेश में नये ट्यूबवेल स्थापित किए जा रहे हैं तथा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रदेश में अब तक 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। समय पर बिजली, बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सरकार इसी दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है, ताकि किसान बेहतर उत्पादन कर सकें और उनकी आय में वृद्धि हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की उपज की उचित खरीद और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में प्रोक्योरमेण्ट सेण्टर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण कुछ क्षेत्रों में खरीद केन्द्रों की व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ाया गया है। जिन जनपदों में अधिक वर्षा नहीं हुई है, वहाँ 12 अक्टूबर से खरीद केन्द्र शुरू किए जा रहे हैं, जबकि अतिवृष्टि से अधिक प्रभावित जनपदों में 15 अक्टूबर से धान तथा मोटे अनाज—ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद के लिए केन्द्र शुरू किए जाएंगे।

खरीद केन्द्रों पर किसानों की उपज खरीदने में किसी प्रकार की अनावश्यक रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि किसान जहाँ अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके, वहाँ उसे बेचने की सुविधा मिले। सरकार किसानों की उपज खरीदेगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजा जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए खरीद की व्यवस्था को सुचारु बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा। किसानों के सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कर किसानों के योगदान का सम्मान किया है। आज गोरखपुर से शुरू की जा रही सहायता वितरण की यह पहल प्रदेश के सभी प्रभावित किसानों के लिए है। आपदा में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराएगी।

कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद किसानों से किए गए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया। किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफी के साथ उनकी उपज की खरीद की बेहतर व्यवस्था की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को विस्तार दिया गया। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार ने गेहूँ और धान की खरीद तीन गुना से अधिक बढ़ाई है। गेहूँ और धान के साथ चना, मटर, मसूर, सरसों, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों की खरीद को भी बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार अब तक किसानों के हित में लगभग 69,163 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह किसानों को समय पर बीज, बिजली, उर्वरक और अन्य कृषि निवेश उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 752 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। किसानों की उपज का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के साथ भुगतान व्यवस्था में सुधार किया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 105 चीनी मिलें 15 दिन के भीतर भुगतान कर रही हैं। वर्ष 2017-18 से अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 6,125 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2025-26 में लगभग 7.31 लाख किसानों को 812.76 करोड़ रुपये की राशि दी गई। पिछले वर्ष लगभग 18 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर लगभग 23 से 24 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बीमित किसानों का सर्वे शीघ्र पूरा कराकर क्षतिपूर्ति का वितरण किया जाए।

कार्यक्रम को सांसद श्री रवि किशन शुक्ल ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेन्द्र सिंह, विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह, श्री बिपिन सिंह, डॉ० विमलेश पासवान, श्री श्रीराम चौहान, श्री प्रदीप शुक्ल, श्री महेन्द्र पाल सिंह, इंजी० सरवन कुमार निषाद, गोरखपुर के महापौर डॉ० मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारु चौधरी, सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।